



2026:AHC:175301

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या - 7964 वर्ष 2026

आकाश मीना

.....आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता : गौरव सिंह चौहान

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : अर्चना हंस, जी.ए.

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री गौरव सिंह चौहान, राज्य की ओर से एजीए श्री बी.पी. सिंह और उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की अधिवक्ता सुश्री अर्चना हंस की बातें सुनी गईं।
2. यह ज़मानत प्रार्थना-पत्र आपराधिक वाद संख्या 1102/2024 (बीएनएस की धारा 140 के तहत, पुलिस थाना खुर्जा नगर, ज़िला बुलंदशहर) में विचारण के दौरान आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने की मांग के साथ दायर की गई है।
3. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अलीगढ़ की आख्या के अनुसार, प्रथम सूचनाकर्ता को सूचना भेज दी गयी है।
4. आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फँसाया गया है। पीड़िता ने बीएनएस की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज अपने बयान में कहा है कि वह अपनी मर्जी से घर से निकली थी और आवेदक से शादी करना चाहती है। आगे यह भी कहा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गया है कि पीड़िता की उम्र उसकी 8वीं कक्षा की अंकपत्र के अनुसार 16 साल 10 महीने पाई गई है; हालाँकि, उसके पास कोई हाई स्कूल प्रमाणपत्र या विद्यालय में दाखिले का शुरुआती प्रमाणपत्र नहीं है, और न ही उसकी उम्र का पता लगाने के लिए कोई रेडियोलॉजिकल जांच की गई है। पीड़िता ने चिकित्सीय-विधिक जांच करवाने से भी इनकार कर दिया है। यह भी बताया गया है कि आवेदक 3.7.2025 से जेल में बंद है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अंत में यह कहा गया है कि अगर आवेदक को जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, एजीए और उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिवक्ता ने जमानत की मांग का जोरदार विरोध किया, लेकिन ऊपर बताई गई बातों को गलत नहीं ठहरा सके। हालाँकि, उन्होंने यह तर्क दिया कि पीड़िता एक नाबालिग लड़की है जिसकी उम्र 8वीं कक्षा की अंकपत्र के अनुसार लगभग 16 साल 10 महीने है।

6. प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के अनुसार, आवेदक पर शिकायतकर्ता की बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप है। हालाँकि, पीड़िता को बरामद कर लिया गया है और बीएनएसएस की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज अपने बयान में उसने कहा है कि उसकी शादी पहले कमल सिंह नाम के व्यक्ति से हुई थी, लेकिन वह उसके साथ नहीं रहना चाहती। उसने अपनी मर्जी से घर छोड़ा था और वह आवेदक से शादी करना चाहती है। पीड़िता की उम्र उसके 8वीं कक्षा के प्रमाणपत्र के अनुसार 16 साल 10 महीने पाई गई है, लेकिन उसके पास कोई हाई स्कूल प्रमाणपत्र या स्कूल में दाखिले का शुरुआती प्रमाणपत्र नहीं है। उसकी उम्र का पता लगाने के लिए कोई रेडियोलॉजिकल जांच भी नहीं की गई है और पीड़िता ने चिकित्सीय-विधिक जांच कराने से इनकार कर दिया है। आवेदक 3.7.2025 से जेल में बंद है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

7. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्यों, आरोपी की संलिप्तता, जेलों में भीड़ और विचारण न्यायालय में लंबित आपराधिक मामलों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए; साथ ही **कपिल वधावन बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो** 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038 मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** 2024 एससीसी ऑनलाइन All 6765 मामले में इस न्यायालय की जमानत देने संबंधी दिशानिर्देश को ध्यान में रखते हुए—और मामले



के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिन, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पाने का हकदार है।

8. इसलिए, यह आवेदन स्वीकार किया जाता है।

9. ऊपर बताए गए अपराध में शामिल आवेदक - **आकाश मीणा** को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानतदार पेश करे, और साथ ही निम्नलिखित शर्तों का पालन करे:-

(i) आवेदक मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके, और न ही वह साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए मुकदमे/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

(iii) जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध में शामिल नहीं होगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा भरे गए बंधपत्र की शर्तों के अनुसार पेश होगा।

10. ऊपर दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत निरस्त करने का आधार माना जाएगा।

11. बंधपत्र स्वीकार करने से पहले संबंधित न्यायालय आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास के प्रमाण की पुष्टि करेगा। संबंधित न्यायालय आवेदक और जमानतदारों के मोबाइल संख्या और आधार कार्ड की भी पुष्टि करेगा।

12. आगे यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की जल्द रिउच्च सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजेगा।

13. जमानत देने की पॉलिसी स्ट्रैटेजी, सुओ मोटो रिट याचिका (क्रि.) संख्या 4/2021, फैसला 31.01.2023, (2024) 10 एससीसी 685 में दर्ज के मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए, कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रतिलिपि संबंधित जेल अधीक्षक के ज़रिए ईमेल या ई-प्रिज़न पोर्टल से 24 घंटे के अंदर आवेदक को भेजे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

अगस्त 19, 2026

अभिषेक

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।